New Automobile Policy

3188. SHRI PRAMOD MAHAJAN: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government proposes to formulate New Automobile Policy?

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) if not, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI P. J. KURIEN): (a) to (c) Under the new industrial policy, all types of automobiles except motor-cars have been delicensed. Policy formulation is a dynamic concept and has to respond to changing needs for the growth of industry. A continuous appraisal of various policy measures is, therefore, a consequential requirement. Automobile Policy cannot be an exception.

Cases field under Trade and Merchandise Act

3189. SHRI ANANTRAY DEVASHANKER DAVE: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that sale of duplicate materials is an offence under the Trade and Merchandise Act;

(b) if so, the number of cases filed under the Act for the sale of duplicate electrical appliances in the last three years;

(c) what steps have been taken by the department against such traders; and

(d) whether there is any proposal to make this Act more effective by amending the present extent of punishment and making the offence as 'congnisable'?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI P. J. KURIEN): (a) It is an offence under the Trade and Merchandise Marks Act, 1958 (TMMA) to sell goods to which false trade mark or false trade description is applied. The use of the same or deceptively similar trade mark by a persons other than the registered proprietor or his licencee in relation to any goods in respect of which the mark is registered will constitute an infringement of the registered trade mark and the infringer is liable to civil and criminal action.

(b) and (c) Since under the TMMA, it is for the registered proprietor to enforce his right against infringer of his trade mark, no action is taken by the Office of the Registrar of Trade Marks in such cases. Statistics regarding these cases are also not maintained centrally.

(d) No, Sir.

लघु उद्योग सेवा संस्थान द्वारा इलेक्ट्रानिक उद्योग को प्रदान की गई सहायता

3190. **श्री कृष्ण लाल शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योग सेवा संस्थान के पास इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की सहायता करने और उसको अद्यतन जानकारी प्रदान करने संबंधी सुविधाएं हैं ;

(ख) इलेक्ट्रॉनिकी के क्षेत्र में नियुक्त अधिकारियों की शैक्षिक योग्यताओं और अनुभवों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उन उद्यमियों की संख्या कितनी है जिन्हें वर्ष 1990-91 और अप्रैल 1991 से अक्तूबर, 1991 के दौरान इलेक्ट्रॉनिकी के क्षेत्र में संस्थान की सेवाएं उपलब्ध कराई गई थीं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० जे० कुरियन) : (क) उद्योग की सेवा करने के लिए सभी उद्योग लघु सेवा संस्थानों में इलैक्ट्रोनिकी विधा के अधिकारी नहीं है । किन्तु जिन लघु उद्योग सेवा संस्थानों में इलैक्ट्रोनिकी विधा के अधिकारी नहीं हैं वे इलैक्ट्रोनिकी उद्योग की सेवा

करने के लिए तथा उसे आवश्यक जानकारी देने के लिए जरूरत पड़ने पर दिल्ली स्थित मुख्यालय से अपेक्षित परामर्श ले लेते हैं ।

(ख) उक्त अधिकारी के लिए न्यूनतम योग्यता इलैक्ट्रोनिकी और दूर संचार के कार्य में इंजीनियरिंग अथवा इसके समकक्ष क्षेत्र में स्नातक होना तथा इसमें 5 वर्ष या अधिक समय का अनुभव होना अनिवार्य है ।

(ग) जिन उद्यमियों को इलैक्ट्रोनिकी उद्योग में संस्थान ने अपनी सेवायें प्रदान की थी उनकी संख्या इस कार्यालय में सहज उपलब्ध नहीं हैं ।

क्षेत्रीय असन्तुलन समाप्त करने के लिए उद्योगों की स्थापना

3191. **श्री ईश दत्त यादव :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान क्षेत्रीय असंतुलन समाप्त करने और महानगरों में भीड़भाड़ कम करने के लिए 1980 की औद्योगिक नीति के अंतर्गत क्या प्रयास किए गए हैं ; और

(ख) उत्तर प्रदेश के उन स्थानों के नाम क्या हैं ; जहां पिछले दो वर्षों के दौरान इस योजना के अंतर्गत उद्योग लगाए गए हैं और उनका ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० जे० कुरियन): (क) और (ख) जुलाई, 1991 में सरकार द्वारा घोषित नयी औद्योगिक नीति के अधीन इलैक्ट्रोनिक्स, कम्प्यूटर, साफ्टवेयर और छपाई उद्योगों के अतिरिक्त अन्य उद्योगों को 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की मानक शहरी क्षेत्र सीमाओं की परिधि से 25 कि०मी० के घेरे के भीतर स्थापित नहीं किया जा सकता ।

पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगीकरण को कारगर रूप से बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने जून, 1988 में एक विकास केन्द्र योजना आरंभ की थी । इस योजना के अधीन उत्तर प्रदेश को आठ विकास केन्द्र आबंटित किए गए हैं । ये झांसी, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, इटावा, बुलंदशहर, जौनपुर, गोरखपुर और पौड़ीगढ़वाल जिलों में से प्रत्येक में एक-एक हैं । जो विकास केन्द्र आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित होंगे, उन्हें सभी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जायगी ।

Monitoring agency for credit facilities to small scale/rural sector

3192. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the Central Government has decided to set up a monitoring agency to ensure adequate credit facilities to small scale and rural sector;

(b) if so, the composition of the monitoring agency;

(c) on what lines the monitoring agency will function; and

(d) in what manner the monitoring agency will help small scale and rural sector in providing financial facilities?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI P. J. KURIEN): (a) A special monitoring agency as envisaged in para 3.1 of the policy measures for promoting and strengthening small, tiny and village enterprises laid in Parliament on 6.8.91 has not yet been set up.

(b) to (d) Do not arise.

Orders with BHEL

3193. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) what are the current orders with BHEL and the period by which the current orders are likely to be completed;

(b) what is the present position with regard to the orders booked by BHEL for 1992-93; and